

No. A-12025/13/2020-Admn

भारत सरकार

Government of India

जल शक्ति मंत्रालय

Ministry of Jal Shakti

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

(Administration Section/प्रशासन अनुभाग)

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg

New Delhi, Dated 08th November, 2024

To

1. The Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories
2. The Secretaries of all the Ministries and Departments of Government of India
3. Public Sector Undertakings/Agricultural Universities/Recognised Research Institutes/ Autonomous/Statutory Organisations.

Subject: - Filling up the post of Senior Joint Commissioner (Agricultural Discipline) in the Department of Water Resources, RD & GR, Ministry of Jal Shakti on deputation (including short term contract) basis- **Extension of last date of receipt of application-reg.**

Madam/Sir,

I am directed to refer to this Department's letter of even no. dated 06.02.2024 & 02.05.2024 & 13.08.2024 (copy enclosed) on the subject mentioned above and to state that the last date of receipt of application for the post of Senior Joint Commissioner (Agricultural Discipline) has now been extended by 45 days from the date of publication in Employment News.

Encl: As above



(Raju)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel. 011-23738126

Email: usadmn-mowr@nic.in

Copy forwarded for similar action to: -

1. All attached & subordinate offices of D/o WR, RD & GR
2. All SJs/DCs in D/o WR, RD & GR
3. Under Secretary {CS-I(Coord)}, DoPT, 2nd Floor, 'A' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - with request to get the vacancy circular uploaded on DoPT's website for wider circulation.
4. NIC Cell, DoWR, RD & GR for uploading the vacancy circular on Department's website.

सं. ए.12025/13/2020-प्रशा.
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
प्रशासन अनुभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, 08 नवम्बर, 2024

सेवा में

1. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कृषि विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/स्वायत्त/ सांविधिक संगठन।

विषय: - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर ज्येष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि विद्या) के पद को भरे जाने से संबंधित- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

मुझे ऊपर उल्लिखित विषय पर इस विभाग के दिनांक 06.02.2024, 02.05.2024 एवं 13.08.2024 के समसंख्यक पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ लेने और यह बताने का निर्देश दिया गया है कि ज्येष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि विद्या) के पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन बढ़ा दी गई है।

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

(21/11)

(राजू)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23738126

प्रति कार्रवाई हेतु अग्रेषित: -

- i. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
- ii. सभी आयुक्त/एसजेसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग।
- iii. अवर सचिव (सीएस-1 (कोर्डिनेशन)); कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दूसरा तल, 'ए' विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली। इस रिक्ति परिपत्र के व्यापक परिचालन हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
- iv. एनआईसी सेल, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, रिक्ति परिपत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

सं. ए.12025/13/2020-प्रशा.
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
प्रशासन अनुभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, 06 फरवरी, 2024

सेवा में

1. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कृषि विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/स्वायत्त/ सांविधिक संगठन।

विषय: - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर ज्येष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि विद्या) के पद को भरे जाने से संबंधित।

महोदया/महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचितीय पद के वेतन मैट्रिक्स स्तर-13 (रूपए 123100-215900) में ज्येष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि विद्या) के पद को भरे जाने का प्रस्ताव है।

पात्रता

2. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा कृषि विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधिकारी, जो निम्नलिखित अर्हताओं को धारण करते हों, पात्र होंगे-

(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समान पद पर कार्यरत हों; या

(ii) नियुक्ति के उपरांत, मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (रूपए 78800-209200) अथवा इसके समतुल्य ग्रेड में पाँच वर्षों की सेवा; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव और अनुभव रखते हैं:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संसथान से कृषि इंजीनियरिंग या मृदा और जल संरक्षण इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री;

या

जल संरक्षण या जल प्रबंधन या सिंचित कृषि योजना तैयार करने या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या केन्द्रीय सरकार के सिंचाई या कृषि विभाग में या किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय या केन्द्रीय सरकार के किसी कृषि प्रशिक्षण या अनुसंधान या प्रबंधन संस्थान या जल इंजीनियरिंग सेवाओं में खेतों में विकास कार्य करने का बारह वर्ष का अनुभव।

